[16/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1428]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1428 परिशिष्ट - अ

ग्राम पड़रा की आराजी खसरा क्रमांक 239/2 का तहसील न्यायालय राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/अ-27/2012-13 आदेश दिनांक 12.05.2015 के द्वारा बंटबारा किया गया था। उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 115/अपील/2014-15 आदेष दिनांक 26.2.2019 के द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 12.5.2015 को निरस्त कर अभिलेख पूर्ववत् किये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के यहॉ द्वितीय अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 149/अपील/2018-19 पारित आदेश दिनंक 1.10.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के आदेश को स्थिर रखते हुए बटवारा आदेश दिनांक 12.5.2015 को निरस्त किया गया आदेश दिनांक 12.5.2015 निरस्त हो जाने पर श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता रंगनाथ सिंह भूमि स्वामी उक्त आरीजी में नही रहें।मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पक्षकार सजन सिंह अन्य -3 के द्वारा अनावेदकगण धीरेन्द्रबहादुर सिंह बगैरह के विरूद्ध प्रकरण दायर किया गया जो मान्नीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक MP-5579 MP Order date 29.11.2019 के पालन मे प्रकरण को पुनः कार्यवाही में लिया गया तथा पक्षकारों को सुनवाई हेतु आहुत किया गया। पक्षकारों के मध्य बटवारा प्रकरण मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 178 के तहत ग्राम पड़रा एवं मौहरिया कला का प्रचलन में था। ग्राम पड़रा का बटवारा प्रकरण क्रमांक 42/अ-27/2012-13 पक्षकार शंकर सिंह पिता दमोदर सिह बनाम कमला देवी वेवा राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य पक्षकार 20 जिसमें अनावेदक पक्षकार के रूप में राजेन्द्रबहादुर सिंह भी योजित है। ग्राम पड़रा एवं मौहरिया कला के दोनो प्रकरणों को पक्षकारों की सहमति के आधार पर बटवारा प्रकरण को एक साथ सुनवाई में लिया गया। ग्राम मौहरिया कला की पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा पुल्ली में दी गई अभिलेखीय जानकारी अनुसार कुल आराजी किता 31 रकबा 19.468 हे0 में प्रेमचन्द्र पिता बृजभूषण गुप्ता 1/6 के रूप में सहभूमिस्वामी दर्ज अभिलेख थे तथा अन्य खसरा नं.89/1 व 90/1किता 2 योग रकवा 0.994 हे0 में भी प्रेमचन्द्र वानी पिता बृजभूषण व राजेन्द्रबहादुर सिंह वगैरह के साथ सहभूमिस्वामी के रूप में दर्ज अभिलेख थे। हल्का पटवारी पड़रा के द्वारा भूमिस्वामीगण एवं पक्षकारों के द्वारा दी गई सहमति तथा राजेन्द्रबहादुर सिंह वगैरह अर्थात बटवारा प्रकरण में जो पक्षकार है के पारिवारिक आपसी बटवारा वर्ष 1973 में हुआ था जिसके आधार पर एवं तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश दिनांक 12.5.2015 को न्यायालय अपर कमिष्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के द्वारा आदेश दिनांक 01.10.2019 को निरस्त किये जाने से ग्राम पड़रा एवं मौहरियाकला दोनो ग्रामों की भूमियों का फर्द बटवारा पुल्ली पृथक-पृथक पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की जाकर प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का के द्वारा भूमिस्वामी गण /पक्षकारों की सहमति के आधार पर ग्राम मौहरिया कला के सहभूमिस्वामी प्रेमचन्द्र पिता बृजभूषण गुप्ता को हिस्सा ग्राम मौहरियाकला के बजाय ग्राम पड़रा में दिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्द बटवारा पुल्ली के आधार पर तहसील न्यायालय से दोनो ग्रामों ग्राम पड़रा एवं मौहरियाकला का बटवारा आदेश एक साथ दिनांक 01/07/2022 को पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रेमचन्द्र बानी पिता बृजभूषण राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज अभिलेख हुए है।

अनुभाग अधिकारी
म0 प्र0 शासन
राजस्व विभाग ...-2
...., भोपाल